



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 4, 2011/चैत्र 14, 1933

No. 185]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 4, 2011/CHAITRA 14, 1933

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2011

सा.का.नि. 295(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 35 की उप-धारा (2) के खण्ड (i) के साथ पठित धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—राष्ट्रीय हरित अधिकरण (वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियाँ) नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ.—(1) इन नियमों में, यदि संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 अभिप्रेत है;

(ख) "अध्यक्ष" से अधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) "अधिकरण" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय हरित अधिकरण अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किए गए और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके क्रमशः अधिनियम में हैं।

3. किसी सदस्य की तैनाती या स्थानांतरण के संबंध में अध्यक्ष की शक्तियाँ.—(1) अध्यक्ष को अधिकरण की बैठक के किसी विशेष मामूली स्थान पर किसी सदस्य को तैनात करने की शक्ति होगी।

(2) अध्यक्ष को आकस्मिकता पर निर्भर करते हुए, सरकारण आदेश द्वारा किसी सदस्य को बैठक के एक मामूली स्थान से बैठक से अन्य स्थान पर स्थानांतरण करने की शक्ति होगी।

4. अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियाँ.—वित्तीय शक्ति का प्रत्यायोजन नियम, 1978, साधारण वित्तीय नियम, 1963, मूलभूत और अनुपूरक नियम, केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972, केन्द्रीय सिविल सेवा (कार्यग्रहण काल) नियम, 1979, केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 और साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 के संबंध में अध्यक्ष की वही शक्तियाँ होंगी जो केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग की हैं:

परन्तु वित्तीय शक्तियों का प्रयोग, सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य प्रक्रिया संबंधी या अन्य अनुदेशों के अधीन होगा :

परन्तु यह और कि अध्यक्ष की सक्षमता के अंतर्गत नहीं आने वाले विषयों के संबंध में, अध्यक्ष द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय के माध्यम से वित्त मंत्रालय या अन्य किसी मंत्रालय की सहमति ली जाएगी।

[फा. सं. 17(19)/2010-पीएल]

डॉ. रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th April, 2011

**G.S.R. 295(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 13 read with clause (i) of sub-section (2) of Section 35 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the National Green Tribunal (Financial and Administrative Powers) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Act" means the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010);
- (b) "Chairperson" means the Chairperson of the Tribunal;
- (c) "Tribunal" means the National Green Tribunal established under Section 3 of the Act.

(2) The words and expression used in these rules but not defined herein and defined in the Act shall have the same meanings, respectively, assigned to them in the Act.

**3. Powers of Chairperson related to posting or transfer of a Member.**—(1) The Chairperson shall have the power to post a Member at a particular ordinary place of sitting of the Tribunal.

(2) The Chairperson, depending on the contingency, shall have the power to transfer any Member from one ordinary place of sitting to another place of sitting by a speaking order.

**4. Financial and Administrative Powers of Chairperson.**—The Chairperson shall have the same powers as are conferred on a Head of the Department of the Central Government in respect of the Delegation of Financial Power Rules, 1978, the General Financial Rules, 1963, the Fundamental and Supplementary Rules, the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, the Central Civil Services (Joining Time) Rules, 1979, the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, the Central Civil Service (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, and the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 :

Provided that the exercise of the financial powers shall be subject to any procedural or other instructions issued from time to time by the Government :

Provided further that in respect of matters not within the competence of the Chairperson, concurrence of the Ministry of Finance or any other authority shall be obtained by the Chairperson through the Ministry of Environment and Forests.

[ F.No.17(19)/2010-PL ]

Dr. RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.